




नगर निगम, चण्डीगढ़
साईकिल रिक्शा स्वामित्व
अनुज्ञा पत्र के लिए

प्रार्थना पत्र



साईकिल रिक्शा स्वामित्व अनुज्ञा पत्र के लिए प्रार्थना पत्र
[चण्डीगढ़ साईकिल रिक्शा (अधिनियम तथा नियंत्रण) उप-नियम]
उप नियम 12 (ए)

पंजीकृत क्रमांक : CH

वर्ष 2011

सेवा में

अनुज्ञा पत्र अधिकारी,
[चण्डीगढ़ साईकिल रिक्शा (अधिनियम तथा नियंत्रण) उप-नियम]
चण्डीगढ़।

प्रार्थी निवेदन करता है कि उसे चण्डीगढ़ में साईकिल रिक्शा किराए पर चलाने। निजी प्रयोग के लिए बोझा ढोने।
 यात्रियों के ले जाने के लिए अनुज्ञा पत्र प्रदान किया जाए। आवश्यक विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

(1) मालिक का नाम :

(2) पिता का नाम :

(3) व्यवसाय :

(4) पूर्ण तथा (स्थायी) :

(5) परिमाण :-

(यदि परिमाण में अन्तर हो तो विवरण दें)

- (a) चौड़ाई (3'-6")
(b) लम्बाई (8')
(c) सीट की चौड़ाई (2'-10")
(d) सीट की मोटाई (1'-6")
(e) टांगों तक ऊंचाई (1'-9")
(f) छत की ऊंचाई (3'-2")

(6) तिमाही सत्र जिसके लिए मूल अनुज्ञा पत्र/नवीकरण अनुज्ञा पत्र भेजा गया है।

(साईकिल रिक्शा स्वामित्व अनुज्ञा पत्र शुल्क सम्बन्धी सूचना)

- (7) (i) स्वामित्व अनुज्ञा पत्र शुल्क राशि
(ii) रसीद का क्रमांक
(iii) रसीद प्राप्ति की तिथि
(iv) रसीद बुक नम्बर

250/- रुपये

तिथि.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान



OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, CHANDIGARH

नगर निगम, चण्डीगढ़

FOR OFFICE USE ONLY

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

(अनुज्ञा पत्र निरीक्षण की रिपोर्ट)

1. उपरोक्त विवरण जांच लिया गया है और अनुज्ञा पत्र के लिए उपयुक्त पाया गया

लाइसेंस निरीक्षक

2. मैंने नकद रसीद जांच ली है और इंदराज 7 में दी गई सूचनाएं ठीक पाई गई हैं ।
अनुज्ञा पत्र दे दिया जाए ।

तिथि.....

लाइसेंस

लिपिक

तिथि.....

अनुज्ञा पत्र अधिकारी

(चण्डीगढ़ साईकिल रिवशा

(अधिनियम तथा नियंत्रण)

उप नियम) चण्डीगढ़ ।

3. मैंने अनुज्ञा पत्र, नंबर प्लेट तथा किराया सूची प्राप्त कर ली है ।

तिथि.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान

रिवशा लाइसेंस करने के लिए रिवशा की बनावट, साज-सामान और रख-रखाव के लिए मुख्य शर्तें :-

- (क) इसकी चौड़ाई 3 फुट 6 इंच सभी कोणों (प्रक्षेपणों) से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- (ख) वह 9 फुट 4 इंच सभी प्रक्षेपणों से ऊँचा नहीं होना चाहिए ।
- (ग) सीट की चौड़ाई 2 फुट 8 इंच से कम नहीं होनी चाहिए और सीट की मोटाई 1 फुट 4 इंच से कम नहीं होनी चाहिए ।
- (घ) यात्रियों के लिए टागें रखने के लिए सानि 1 फुट 3 इंच से कम नहीं होनी चाहिए ।
- (च) यह ठीक हालत में होनी चाहिए और सभी भागों की मुरम्मत ठीक होनी चाहिए, लाइसेंस अधिकारी द्वारा निर्देशित किए गए श्रंग द्वारा पेंट किया गया हो, सार्वजनिक रिवशा का रंग अलग होना चाहिए ।
- छ) इसके साथ निम्नलिखित चीजें संलग्न होनी चाहिए ।
 - (i) एक लैम्प ;
 - (ii) एक घंटी ;
 - (iii) इसके पिछवाड़े में परावर्तक लगा हो ;
 - (iv) वायवीय टायर हो ;
 - (v) बाल वियरिंग पर धुरा और पहिया कार्य करता हो ;
 - (vi) इसकी सीटों में रवड़ की गड़िया लगी हो, या पिलोफोम या स्प्रिंग या नारियल के छिलके भरे हुए हों ।
 - (vii) धूप से बचने के लिए इसकी छत ओर बरसाती आदि सीट बचाव शिखर से 2 फुट 9 इंच ऊँची होनी चाहिए ।
 - (viii) ब्रेक कारगर होनी चाहिए ।

नोट : खण्ड (ग), (घ), (छ), (vi), (vii) उन रिवशों पर लागू नहीं होगा जो केवल भार ढोने के लिए प्रयोग किए जाएंगे ।

रिवशा के मालिक को अनुज्ञा-पत्र (लाइसेंस) प्राप्त करने के लिए मुख्य शर्तें :

- (क) प्रत्येक रिवशा के मालिक को जो लाइसेंस (अनुज्ञा पत्र) लेने का इच्छुक हो, उसे लिखित रूप में इन उपनियमों के साथ संलग्न फार्म सी भर कर अनुज्ञापत्र अधिकारी को देना होगा और अधिकारी द्वारा बताये गये सानि और समय पर रिवशा को निरीक्षण के लिये लाना होगा ।
- (ख) वह व्यक्ति जो चालक लाइसेंस (अनुज्ञापत्र) लेने का इच्छुक है, वह भी लिखित रूप में फार्म ही उपनियमों के तहत संलग्न करके अनुज्ञा पत्र अधिकारी को प्रार्थना पत्र देना इसके साथ, शरीरिक योग्यता पत्र, आयु का प्रमाण पत्र, पहचान चिन् (शिनाख्ती निशान) तीन 2 1/2 ग3'' साईज की फोटो अपने प्रार्थना पत्र के साथ लगायेगा या जैसा अनुज्ञा पत्र अधिकारी निर्देश दें ।

